

## **DETAIL OF PAN CARD**

पैन कार्ड सभी के पास होता है। आपके पास भी होगा। कहा जाता है कि पैन कार्ड बनवाना जरूरी है। चाहे ऑफिस में सैलेरी मिलने की बात हो या फिर बात हो आपके इकम टैक्स की पैन कार्ड की जरूरत तो आए दिन पड़ती ही रहती है। अब इतनी जरूरी चीज के बारे में तो आप जानना चाहेंगे ही। क्या आपको पता है कि यह इतना जरूरी क्यों होता है, या फिर इसके फायदे क्या हैं।

पैन कार्ड नंबर एक 10 डिजिट का खास नंबर होता है जो लैमिनेटेड कार्ड के रूप में आता है। इसे इकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उन लोगों को इश्यू करते हैं जो पैन कार्ड के लिए अर्जी देते हैं। पैन कार्ड बन जाने के बाद इकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के सारे ट्रानजैक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक हो जाते हैं। इनमें टैक्स पेमेंट, क्रेडिट जैसे कई फाइनेंशियल लेन-देन डिपार्टमेंट की निगरानी में रहते हैं।

इस नंबर के पहले तीन डिजिट अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं यह AAA से लेकर ZZZ तक कोई भी लेटर हो सकता है। ताजा चल रही सीरीज के हिसाब से यह तय किया जाता है। यह नंबर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से तय करता है।

पैन कार्ड नंबर का चौथा डिजिट भी अंग्रेजी का ही एक लेटर होता है। यह पैन कार्ड धारी का स्टेटस बताता है।

इसमें-

P- एकल व्यक्ति

F- फर्म

C- कम्पनी

A- AOP( असोसिएशन ऑफ पर्सन)

T- ट्रस्ट

H- HUF (हिन्दू अनडिवाइडिड फामिली)

B-BOI (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल)

L- लोकल

J- आर्टिफिशियल जुडीशियल पर्सन

G- गवर्नमेंट के लिए होते हैं।

पैन कार्ड नंबर का पाछवा डिजिट भी ऐसा ही एक अंग्रेजी का लेटर होता है। यह लेटर पैन कार्ड धारक के सरनेम का पहला अक्षर होता है। यह सिर्फ धारक पर निर्भर करता है। गौरतलब है कि इसमें सिर्फ धारक का लास्ट नेम ही देखा जाता है।

इसके बाद पैन कार्ड में 4 नंबर होते हैं। यह नंबर 0001 से लेकर 9999 तक कोई भी हो सकते हैं। आपके पैन कार्ड के ये नंबर उस सीरीज को दर्शाते हैं जो मौजूदा समय में इकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रही होती है। इसका आखिरी डिजिट एक अल्फाबेट चेक डिजिट होता है जो कोई भी लेटर हो सकता है।